


71



पचास  
रुपये  
रु.50



NOTARIAL  
NOTARIAL  
RUPEES  
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

शपथ पत्र

म प्र. स्टाम्प एक्ट के अनुसार 10/- रूपये का नोटरी स्टाम्प चम्पा किया BL 894106

शपथकर्ता:- सुखेन्द्र सिंह तनय श्री राज प्रताप सिंह उम्र 51 वर्ष सा0 ग्राम बन्ना जवाहर सिंह पो0 पांती, थाना व तहसील हनुमना, जिला मऊगंज/रीवा म0प्र0 का नि0 होते हुए निम्न कथन सत्य प्रतिज्ञा पर करता हूँ कि -

- 1- यह कि मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मैं इण्डियन नेशनल कांग्रेस(राजनैतिक दल का नाम) का विधान सभा 71 मऊगंज का अभ्यर्थी हूँ
- 2- यह कि मेरा नाम 71 मऊगंज राज्य म0प्र0 के भाग संख्या 235 के कम संख्या 97 पर मतदाता सूची में प्रवृष्टि है।
- 3- यह कि मेरा 7898565908 एवं 9425185530 सम्पर्क दूर भाष संख्या है।
- 4- यह कि मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक प्रकरण निम्न न्यायालयों में लंबित हैं। जो निम्नानुसार हैं

क्रमांक	अपराध धारा	विचाराधीन न्यायालय का नाम
1- 188, 147, भा0द0वि0		न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी रीवा म0प्र0

2- 120 बी, 499, 500, 501, 503, 506, 353/34 भा0द0वि0 विशेष न्यायाधीश (एम0पी0 एवं एम0एल0ए )भोपाळी म0प्र0		
--	--	--

दिनांक 24/10/2022	ह0शपथकर्ता	शपथकर्ता
-------------------	------------	----------

सत्यापन, मैं शपथकर्ता एतद् द्वारा सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त कथन सही एवं सत्य है।

दिनांक 24/10/2023	स0	शपथकर्ता
-------------------	----	----------

पहिल्या नकर्ता  
अश्वीष सिंह  
A.P.S.

शपथकर्ता द्वारा मेरे समक्ष शपथ पूर्वक कथन किया गया।  
24.10.2023  
रमनाथ मिश्रा एडवोकेट  
नोटरी हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)

3395  
19/10/2023

सुरेन्द्र सिंह बरना मूल राजपूत,  
बरना सि. बरना मदन गंग लक्ष्मी  
दुसरा थिना जीवा (रा. 3)  
बर्ना 914445



Machine Translated

## परिशिष्ट 47

प्रारूप सी-1 से सी-8 और सीए

प्रारूप C-1

(उम्मीदवार के लिए समाचार पत्रों, टीवी में प्रकाशित करने के लिए)

## आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा

(माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 536/2011 (सार्वजनिक) में दिनांक 25 सितंबर, 2018 के फैसले के अनुसार इंटरेस्ट फाउंडेशन और अन्य। बनाम भारत संघ एवं अन्य)

उम्मीदवार का नाम और पता:

सुरेन्द्र सिंह ग्राम बान्ना जवाहर सिंह, पोस्ट ऑफिस पोती, 08 सील हुमना जिला मऊ/सीता (म.प्र.)

राजनीतिक दल का नाम:

इंडियन नेशनल कांग्रेस

(निर्दलीय उम्मीदवारों को यहां "स्वतंत्र" लिखना चाहिए)

चुनाव का नाम:

विधान सभा

\*निर्वाचन क्षेत्र का नाम:

71 मऊ

मैं, सुरेन्द्र सिंह (उम्मीदवार का नाम), उपरोक्त चुनाव के लिए एक उम्मीदवार, सार्वजनिक जानकारी के लिए मेरे आपराधिक इतिहास के बारे में निम्नलिखित विवरण घोषित करता हूँ:

(ए) संचित आपराधिक मामलों				
क्र.सं. नहीं।	न्यायालय का नाम	केस संख्या और दिनांक केस की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धाराएं और अपराध का संक्षिप्त विवरण	
	न्यायिक अदालत, मऊ	RCT 26/23	लंबित	188, 147 भा. द. वि.
	विशेष न्यायिक अदालत (सी.आर.पी. की उप-वर्ग) मऊ	SCPPM 123/18	लंबित	120बी, 499, 509, 511, 503, 506, 353/24 भा. द. वि.
(बी) आपराधिक मामलों के लिए समाचार पत्रों के बारे में विवरण				
क्र.सं. नहीं।	समाचार का नाम और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीख)	पद (ओं) और दण्ड का विवरण थोपा	अधिकतम सजा दी गई	

\*राज्यों की परिषद के लिए चुनाव या विधायकों द्वारा विधान परिषद के लिए चुनाव के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित चुनाव का उल्लेख करें।

टिप्पणी:

- अभ्यर्थी के विरुद्ध संचित आपराधिक मामलों का विवरण मोटे अक्षरों में होगा।
- समाचार पत्रों में मामला कम से कम 12 फ्रॉन्ट आकार में प्रकाशित किया जाएगा।
- प्रत्येक मामले का विवरण अलग-अलग पंक्तियों में अलग-अलग दिया जाना चाहिए।
- यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, तो उसे अपने खिलाफ संचित आपराधिक मामलों के बारे में पार्टी को सूचित करना आवश्यक है।
- उम्मीदवार को आपराधिक मामलों से संबंधित घोषणा के प्रकाशन के तुरंत बाद रिटर्निंग ऑफिसर को रिपोर्ट करनी होगी। इसके अलावा, वह घोषणा के प्रकाशन के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

विधान परिषद, इसे संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा

इसे उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि के अगले दिन से समाचार पत्रों और टीवी में प्रकाशित किया जा सकता है और मतदान की तारीख से दो दिन पहले तक

378 | रिटर्निंग ऑफिसर के लिए हेंडबुक

मऊ जिला प्रशासन

~~राजनीतिक दल के लिए वेबसाइट, समाचार पत्र, टीवी में प्रकाशित करने के लिए~~

**प्रारूप सी-2**

(राजनीतिक दल के लिए वेबसाइट, समाचार पत्र, टीवी में प्रकाशित करने के लिए)

पार्टी द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में घोषणा

(माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 536/2011 (सार्वजनिक) में दिनांक 25 सितंबर, 2018 के फैसले के अनुसार इंटरनेट फाउंडेशन और अन्य। बचाम भारत संघ एवं अन्य)

नाम और राजनीतिक दल: **सुखेन्द्र सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस**

\* चुनाव का नाम: **विधान सभा**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम: **मध्य प्रदेश**

1	2	3	4	5
निर्वाचन क्षेत्र (सी) संबंधित अपराधों	उम्मीदवार का नाम	(ए) संबंधित अपराधों का नाम	(बी) आपराधिक अपराधों के लिए सजा के मामलों के बारे में विवरण	अधिकतम सजा धोपा
71 मऊगंज	सुखेन्द्र सिंह	न्यायिक प्रणाली में भ्रम, 26/12/2018, मिश्रमन्या. शाही, 2018/18/18/18	अधिनियमों की धाराएं संबंधित और अपराध का संक्षिप्त विवरण	अपराध(अपराधों) का विवरण और दंड धोपा

\* राज्यों की परिषद के चुनाव या विधायकों द्वारा विधान परिषद के चुनाव के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित चुनाव का उल्लेख करें।

**टिप्पणी:**

- अभ्यर्थी के विरुद्ध संबंधित आपराधिक मामलों का विवरण मोटे अक्षरों में होगा।
- समाचार पत्रों में मामला कम से कम 12 फ्रॉन्ट आकार में प्रकाशित किया जाएगा।
- उपरोक्त जानकारी प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यवार प्रकाशित की जाएगी।
- यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, तो उसे अपने खिलाफ संबंधित आपराधिक मामलों के बारे में पार्टी को सूचित करना आवश्यक है।

राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों से संबंधित जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालने के लिए बाध्य होंगे।

राजनीतिक दल संबंधित चुनाव के परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रारूप सी 5 में आपराधिक मामलों के संबंध में घोषणा के प्रकाशन के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

नोट  
 9/24  
 24/10/2018  
 निर्वाचन क्षेत्र का नाम: .....  
 राज्य का नाम: .....  
 चुनाव का नाम: .....

राज्यकर्ता द्वारा माग समझ शपथ पूर्वक कथन किया गला।

शपथकर्ता

पब्लिकरता  
 आशीष सिंह

राजनाथ मिश्रा एडवोकेट  
 बोटरी हनुमन्ता जिला सीक (मि.ब)